संख्या–798 /XXIV(1)/2012–25/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

3965 26/10/12

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2012

विषयः– विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न (चावल) को निष्प्रयोज्य होने से बचाव व रोकथाम हेतु निरोधात्मक उपाय हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या रा0प0का0/246/एम0डी0एम0–01/2012–13 दिनांक 22.8.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न (चावल) के समुचित भण्डारण व उपयोग तथा मानवीय लापरवाही के अतिरिक्ति अन्य कारणों यथा प्राकृतिक/दैवीय आपदा आदि से खराब होने वाले खाद्यान्न (चावल) को निष्प्रयोज्य घोषित कर नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रकिया का निर्धारण करने तथा खाद्यान्न को निष्प्रयोज्य होने से बचाव के सम्बन्ध में निरोधात्मक दिशा निर्देश निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– विभागीय प्रस्ताव के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत प्रक्रिया अपनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(क) खाद्यान्न(चावल) की मांग–

1– विद्यालय स्तर से पंजीकृत छात्र संख्या के आधार पर ही प्रतिमाह खाद्यान्न की मांग की जाए।

2– खाद्यान्न की मांग विद्यालय में उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न को समायोजित करते हुए ही की जाए।

3– मध्याह्न भोजन योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप विद्यालय स्तर पर 01 माह से अधिक का अग्रिम स्टॉक न रखा जाए।

(ख) खाद्यान्न (चावल) का रख–रखाव –

1– खाद्यान्न (चावल) को ग्रेन–बिन में ही रखा जाए। ग्रेन–बिन इस प्रकार से बनें हो कि खाद्यान्न की निकासी निचले तल से हो सके।

2– खाद्यान्न (चावल) के बैग नमीयुक्त स्थान पर न रखें।

3– खाद्यान्न (चावल) को चूहों व किट आदि से बचाव के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध किया जाए।

(ग) खाद्यान्न (चावल) का उपभोग –

1– मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस तथा उच्च प्राथमिक सतर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस के अनुसार ही उपभोग किया जाए किसी भी दशा में निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का उपभोग न किया जाए।

ak.edn1 J.D.(MDM)

25-10-12

2– खाद्यान्न (चावल) का उपभोग प्राप्ति के अनुसार ही किया जाए अर्थात् पहले प्राप्त चावल का उपभोग पहले करें जिससे कि चावल को खराब होने से बचाया जा सके।

(घ) खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि विद्यालयों में उनकी आवश्यकतानुसार ही खाद्यान्न उपलब्ध हो तथा विकासखण्ड स्तर पर विद्यालयवार अवशेष खाद्यान्न को समायोजित करते हुए खाद्य विभाग को मांग प्रस्तुत की जाए।

3– मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न(चावल) की आवश्यकतानुसार मांग, समुचित भण्डारण तथा उपभोग उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार किए जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा। मानवीय लापरवाही के अतिरिक्त प्राकृतिक/दैवीय आपदा आदि के कारण निष्प्रयोज्य होने वाले खाद्यान्न(चावल) के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाएगी।

(1) निष्प्रयोज्य किए जाने योग्य खाद्यान्न का नमूना (सैम्पल) प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित सी0आ0सी0 समन्वयक की समिति द्वारा लिया जाएगा।

(2) निष्प्रयोज्य किए जाने योग्य खाद्यान्न का नमूना (सैम्पल) पर विकासखण्ड स्तर पर खाद्य एंव आपूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षक (FGI) अथवा Food Safety & Standard Act,2006 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर उपलब्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) से खाद्यान्न (चावल) के खाने योग्य न होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए।

(3) खाद्य एंव आपूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षक (FGI) अथवा Food Safety & Standard Act,2006 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर उपलब्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) से खाद्यान्न (चावल) के खाने योग्य न होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विद्यालय प्रबन्धन समिति की देख–रेख में निष्प्रयोज्य किए जाने वाले खाद्यान्न को नष्ट किया जाए जिससे कि अन्य किसी के द्वारा उसका उपभोग न किया जा सके।

4– उक्त समस्त कार्यवाही का विवरण संलग्न प्ररूप पर कर अभिलिखित कर विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखें जाय। निष्प्रयोज्य किए गए खाद्यान्न (चावल) की सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जनपद स्तर को उपलब्ध करायी जाए।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एंव दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
5– समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।

ak.edn1

6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एंव मानक विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मा0)/जिला शिक्षा अधिकारी(बे0), उत्तराखण्ड(राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से)।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

निष्प्रयोज्य किए जाने योग्य खाद्यान्न (चावल) का विवरण प्रपत्र

1– विद्यालय/संस्थान का नाम–

2– निष्प्रयोज्य किए जाने योग्य_खाद्यान्न (चावल) की मात्रा कि0ग्राम में–

3– खाद्यान्न (चावल) के निष्प्रयोज्य (खराब) होने का कारण–

4– सैम्पल(नमूना) लिए जाने की तिथि व माह–

5–

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विद्यालय/संस्थान से प्राप्त खाद्यान्न का सैम्पल(नमूना) खाने योग्य नहीं है। अतः उक्त खाद्यान्न(चावल) का उपभोग मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए न किया जाए।

हस्ताक्षर
खाद्य आपूर्ति निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी
विकासखण्ड/तहसील .....
जनपद– .....

6–

प्रमाणित किया जाता है कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त आख्या के आधार पर ..... कि0ग्राम खाद्यान्न (चावल) खाने योग्य न होने के कारण निष्प्रयोज्य धोषित कर आज दिनांक ..... को विद्यालय प्रबन्धन समिति के समक्ष नष्ट किया गया।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्याक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति
मोहर सहित